# न्यायालय जिला कलक्टर, बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी : टीना डाबी, आई0ए0एस0

विविध रसद प्रकरण सं. 19 / 2021 1

| **प्रार्थी–** | ***बनाम*** | **अप्रार्थी–** |
| --- | --- | --- |
| श्री राम निवास नि.पु. थानाधिकारी पुलिस थाना सदर, बाड़मेर | | श्री गौतमसिंह राजपुरोहित पुत्र श्री कानसिंह जाति राजपुरोहित निवासी बाड़मेर गादान पु.था. सदर बाड़मेर |

**प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955**

उपस्थिति :–

1. अभियोजन अधिकारी प्रार्थी की ओर से उपस्थित।
2. श्री करनाराम चौधरी, अधिवक्ता अप्रार्थी उपस्थित।

**आदेश**

दिनांक : 08.07.2025

1. प्रार्थी की ओर से यह प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत अप्रार्थी के विरूद्ध प्रस्तुत किया गया है। प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र के संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि श्री आनन्दसिंह आरपीएस, वृताधिकारी वृत बाड़मेर दिनांक 09.05.2021 को पुलिस थाना सदर बाड़मेर पहुंचे। जहां पर निरीक्षक पुलिस थानाधिकारी पुलिस थाना सदर बाड़मेर एवं श्री हरलाल मीणा प्रर्वतन अधिकारी बाड़मेर उपस्थित मिले। जहां पुलिस थाना बाड़मेर में दिनांक 08.05.2021 को थानाधिकारी पुलिस थाना सदर बाड़मेर द्वारा सरहद डीगड़ा से श्री गौतमसिंह राजपुरोहित के बाड़े से एक टैकर नम्बर आरजे 19 जीजी 9178 जिसके कम्पार्ट नम्बर 2 में भरा पैट्रोलियम पदार्थ भरा हुआ को दस्तयाब कर पुलिस थाना सदर परिसर में सुरक्षार्थ खड़ा करवाया गया था। जिसकी आवश्यक कार्यवाही हेतु श्रीमान जिला रसद अधिकारी बाड़मेर [illegible] पुलिस थाना सदर बाड़मेर द्वारा दी गई। वृताधिकारी बाड़मेर के [illegible] मंदिर के पीछे एक टैंकर नम्बर आरजे 19 जीजी 9178 [illegible] निगरानी में श्री भंवराराम कानि. 977 उपस्थित मिला। उक्त टैंकर की तलाशी लेने से [illegible]तंत्र मौतबीर सर्व श्री हरलाल मीणा प्रवर्तन अधिकारी बाड़मेर व श्री [illegible]सिंह हैडकानि. 721 को मोतबीर रहने की सहमति प्राप्त कर उक्त टैंकर को चैक

Signature Not Verified
Digitally signed by Tina Dabi
Date: 2025.08.05 15:47:42 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
बाड़मेर

किया गया तो टैंकर में चार कम्पार्ट बने हुए तथा प्रति कम्पार्ट पर 500 लीटर केपेसिटी काले रंग से लिखा हुआ पाया गया। उक्त टैंकर में भरे पैट्रोलियम पदार्थ का लाईलेंस एवं ट्रांसपोर्ट के संबंध में अन्य कागजात टैंकर में चैक करने पर इस संबंध में कोई लोईसेन्स, बिल या ट्रासपोर्ट के सबंध में अन्य कोई वैद्य दस्तावेज वगैरह नहीं पाये गये तथा न ही बाडा मालिक श्री गौतमसिंह ने अब तक इस सम्बंध में अब तक कोई कागजात पेश किये। उक्त पैट्रोलियम तरल पदार्थ प्रथम दृष्टिया मिलावटी प्रतीत होता है। पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर मुलजिम श्री गौतमसिंह राजपुरोहित निवासी बाड़मेर गादान जिला बाड़मेर द्वारा बिना लाईसेंस / परमिट के उक्त डीजल अपने कब्जे में रखना, संग्रहण करना तथा विक्रय करना मोटर स्प्रीट और उच्च वेग डीजल (प्रदाय और वितरण का विनियमन और अनाचार निवारण) आदेश 2005 का उल्लंघन करना पाये जाने से अपराध अन्तर्गत धारा 3 / 7 आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 प्रमाणित है। लिहाजा अप्रार्थी गौतमसिंह के विरूद्ध यह इस्तगासा पेश कर निवेदन है कि प्रकरण हाजा मय टैंकर नम्बर आरजे 19 जीजी 9178 जब्तशुदा 4000 लीटर डीजल पदार्थ नियमानुसार निस्तारण किये जाने के आदेश प्रदान करावें।

2. प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को जवाब हेतु नोटिस जारी किया गया। अप्रार्थी की ओर से अधिवक्ता द्वारा जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट बाड़मेर में पुलिस थाना सदर की ओर से अंतिम प्रतिवेदन नकारात्मक अदम वकू तथ्य को को चिन्हित कर पेश न्यायालय किया गया जो दर्ज रजिस्टर होकर परिवादी पुलिस थाना सदर की ओर से प्रकरण में किसी प्रकार की अग्रिम कार्यवाही नहीं चाहना व्यक्त कर एवं हमारे समक्ष ऐसा कोई नवीन तथ्य नहीं आया है, जिसके आधार पर प्रकरण मे अंतिम प्रतिवेदन नकारात्मक स्वीकार किया जाकर अदम वकू में खारिज किया गया है। अप्रार्थी के विरूद्ध उक्त परिवाद निरर्थक तथ्यों पर आधारित होने से खारिज किया जावे तथा प्रकरण में जब्तशुदा टैंकर नम्बर आरजे 19 जीजी 9178 जब्तशुदा 4000 लीटर डीजल पदार्थ को प्रार्थी स्वामी होने से कब्जे में रखने का अधिकारी है।

3. हमने पत्रावली का अवलो[illegible] सुना। प्रार्थी की ओर से अभियोजन अधिकारी ने प्रकट [illegible] अप्रार्थी श्री गौतमसिंह राजपुरोहित पुत्र श्री कान[illegible]. सदर बाड़मेर को अवैध रूप से पैट्रोलियम पदार्थ का लाईलेंस एवं ट्रासपोर्ट के सम्बंध में अन्य कागजात टैंकर मे चैक करने पर इस स[illegible]ध में कोई लाईलेन्स, बिल या ट्रांसपोर्ट के सम्बंध में अन्य कोई वैद्य दस्तावेज वगैरह नहीं पाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Tina Dabi
Date: 2025.08.05 15:47:42 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय जिला कलक्टर
बाड़मेर (राजस्थान)

जिला कलक्टर
बाड़मेर

इसके जवाब में अप्रार्थी की ओर से अधिवक्ता द्वारा प्रकट किया कि उक्त प्रकरण में श्रीमान मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बाड़मेर में पुलिस थाना सदर की ओर से अंतिम प्रतिवेदन नकारात्मक अदम वकू तथ्य को चिन्हित कर अंतिम प्रतिवेदन नकारात्मक स्वीकार किया गया है। इस प्रकार प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र खारिज कर अप्रार्थी को टैंकर मय पैट्रोलियम पदार्थ सुपुर्द करावे। इस प्रकार अप्रार्थी के कब्जे से बरामद किये गये डीजल पदार्थ मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बाड़मेर में पुलिस थाना सदर की ओर से प्रकरण में अंतिम प्रतिवेदन नकारात्मक अदम वकू तथ्य को चिन्हित कर अंतिम प्रतिवेदन नकारात्मक स्वीकार गया है। अतः उक्त अभिमत के परिप्रेक्ष्य में प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत यह परिवाद चलने योग्य होना प्रतीत नहीं होता है। अप्रार्थी द्वारा अपने कब्जे में रखे गये डीजल पदार्थ की मात्रा मोटर स्प्रीट और उच्च वेग डीजल (प्रदाय और वितरण का विनियमन और अनाचार निवारण) आदेश 2005 का उल्लंघन करना नहीं पाया गया है जो आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध हों। ऐसे में अप्रार्थी के विरूद्ध पर्याप्त साक्ष्य के अभाव में तथा तथ्य की भूल के फलस्वरूप दर्ज कराया गया यह प्रकरण काबिल खारिज है।

4. अतः उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विवेचन एवं विश्लेषण के परिणामस्वरूप प्रार्थी का यह प्रार्थना–पत्र खारिज किया जाता है। प्रकरण में सीजशुदा उक्त 4000 लीटर डीजल व टैंकर नम्बर आरजे 19 जीजी 9178 को कब्जा सरकार से एत्दद्वारा मुक्त किया जाता है। थानाधिकारी पुलिस थाना सदर बाड़मेर को निर्देशित किया जाता हैं कि प्रकरण में सीजशुदा पेट्रोलियम पदार्थ मय टैंकर अप्रार्थी को सुपुर्द करें।

5. आदेश आज दिनांक 08.07.2025 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(टीना डाबी)
जिला कलक्टर, बाड़मेर

जिला कलक्टर
बाड़मेर

न्यायालय जिला कलक्टर
बाड़मेर (राजस्थान)

Signature Not Verified

Digitally signed by Tina Dabi
Date: 2025.08.05 15:47:42 IST
Reason: SelfAttested